न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सांचौर

पीठासीन अधिकारी – प्रमोदकुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13/2017

प्रार्थीगण

1. तेजाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी सरनाउ तहसील सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. हीरा पुत्र भीया
2. बाबू पुत्र भीया ।जाति–विश्नोई निवासी– सरनाऊ, तहसील साचोंर
3. झमकु पुत्री भीया पत्नि खंगाराराम जाति–विश्नोई निवासी सेवाड़ा तहसील–रानीवाड़ा।
4. केसी पुत्री भीया पत्नि वागाराम जाति–विश्नोई निवासी–सरनाऊ तहसील–साचोर।
5. धोलीदेवी पुत्री भीयाराम पत्नि लालाराम जाति–विश्नोई निवासी–धमाणा का गोलिया तहसील–साचोंर
6. मुमल पुत्री भीया पत्नि तेजाराम जाति–विश्नोई निवासी–सांगडवा तहसील–चितलवाना
7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा साचोंर
8. सरकार जरिये तहसीलदार साचोंर।
9. उप पंजियक कार्यालय साचोंर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट</u>

उपस्थित :–

1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सदराम विश्नोई, श्री जयप्रकाश विश्नोई।

2– अप्रार्थी संख्या 01 से 06 की ओर से वकील श्री इब्राहिम शाह जनेजा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

-:निर्णय:-

दिनांक:- 04.03.2025

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा सरनाऊ में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के संयूक्त खातदारी का पूश्तैनी खेत आया हुआ है। जो पहले भीया पुत्र फुलाजी के नाम का था। भीयाजी के फौत होने पर यह भुमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हुई जो भुमि पुश्तैनी व संयूक्त खातेदारी की है। जिके वर्तमान खसरा संख्या 162, 165, 166, 167, 167, 169 170, 875/1341, 900, 911, 913, 979, 980, 980/1366, 990 रकबा क्रमश 3.00, 0.74, 0.05, 3.55, 0.04, 3.62, 0.07, 0.20, 0.40, 2.75, 0.20, 9.32, 0.01, 3.30 जुमले रकबा 27.25 हैक्टर भुमि हमारे संयूक्त रा। तेदारी की है। जिस भुमि पर सभी सह-अंशधारीयों का सम्मान हक व कब्जा है। भीयाजी के तीन पुत्र व चार पुत्रीया जीवित उत्तराधिकारी है। जिसमे भीयाजी की चार पुत्रीया शादी होकर ससुराल चली गयी है। तथा वहीं पर रहती है। कानुनीया उनका खातेदारी में हक है। यह भुमि अभी भी संयूक्त कब्जे काश्त की है। जिस पर किसी भी सह-काश्तकार का विशेष भू-भाग पर कब्जा नहीं है। तथा बिना बंटवाड़ा के कोई भो सह-काश्तकार किसी भी विशेष भू-भाग का हक नही जता सकता। अप्रार्थीया झमु, केशी, धोली व मुमल जो ससूराल में है तथा पूरी भुमि पर काश्त हम तीनों भाई करते है। संयूक्त खातेदारी की भूमि पर कोई भी खातेदार बिना विधिवत बंटवाड़ा के इस भुमि को आगे किसी कदर हस्तान्तरण अथवा बैचान नही कर सकता। तथा किसी अजनबी क्रेता को किसी कदर हस्तान्तरण नही कर सकता। बिना विधिवत बंटवाड़ा के कोई भी अजनबी क्रेता उस भुमि पर बंटवाडे से पूर्व किसी कदर कोई हक अथवा कब्जा हासिल नही कर सकता। बिना बंटवाड़ा के किया गया बैचान अपने आप में प्रभाव शून्य है। अप्रार्थीया झमु, केशी, धोली व मुमल जिनका मौके पर कोई कब्जा नही है फिर भी वे उनके नाम दर्ज खातेदारी के आधार पर अजनवी क्रेता को बैचान करने पर आमादा है यहाँ वह आज से 5 रोज पूर्व गाड़ी लेकर अजनबी क्रेताओं के साथ अप्रार्थीया मौके पर आयी तथा जहाँ इस भुमि पर मै प्रार्थी ढ़ाणी बनाकर निवास करता हूँ उस भुमि पर ईशारा करते हुए उस भुमि को बैचान करने का प्रस्ताव रखा परन्तु विगत 25 वर्षो से ज्यादा समय से इस भुमि पर अलग से मौके पर काश्त करता आ रहा हूँ। मेरी इस भुमि पर रहवासीय ढ़ाणी है मह परिवार निवास कर रहा हूँ पम्पीगं सेट लगा हुआ है। तथा उससे सिंचाई कर जीरे की फसल की काश्त कर रखी है। यदि अप्रार्थीया बिना कब्जे के मेरे रहवासीय ढाणी व कब्जे के खेत को बैचान कर देते है तो मैं वादी भारी आहात हूंगा तथा पूर सा[illegible] हो जाऊगा व लाखों रूपयें का ऋण लिया है जो फसल [illegible] हो जाऊगा। ऐसी स्थिति में ऋण दूगूना हो जायेगा जो मै वादी [illegible] की स्थिति में नही आऊगा। अप्रार्थीगण इस भुमि को बैचान करने पर आमादा है जबकि इस भुमि का भू-विभाजन नही हुआ हुआ है यदि वो अजनबी व बदमाश क्रेताओं को बैचान कर देगें तो वे खरीद के आधार पर मेरे रहवासीय ढ़ाणी व कब्जे की भुमि पर कब्जा करने का प्रयास करेगें। व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा कर मुझे बेदखल कर देगें। जिससे मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जायेगा। प्रार्थना–पत्र के तीन मुल–भूत इधार स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सूविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रथम दृष्टया राजस्व रेकर्ड से ही संयूक्त खातेदारी की भुमि है तथा इस भूमि पर लगातार मेरा कब्जा है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष का है। यदि मुझे गलत ढंग से संयूक्त खातेदारी की भुमि होते हुए अजनबी क्रेता को बेचकर भारी नुकसान कारित कर सकते है। इसलिए अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी मुझ प्रार्थी के पक्ष का है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि मौजा सरनाऊ के खेत खसरा संख्या 162, 165, 166, 167, 169, 170, 875/1341, 900, 911, 913, 979, 980, 980/1366, 990 रकबा क्रमश 3.00, 0.74, 0.05, 3.55, 0.04, 3.62, 0.07, 0.20, 0.40, 2.75, 0.20, 9.32, 0.01. 3.30 जुमले रकबा 27.25 हैक्टर भुमि हमारे संयूक्त खातेदारी की अविभाजित भुमि है जिसे बिना विधिवत बंटवाड़ा के कोई भी सह–अंशधारी किसी अजनबी क्रेता को बैचान व हस्तान्तरण नही करें व न ही किसी अन्य से करावें। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद जारी फरमायें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 07 से 09 नोटिस तामिल के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए। अतः अप्रार्थीगण 07 से 09 के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण 01 से 06 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि हम अप्रार्थीगण पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि का मिट्स एण्ड बॉण्ड्स के अनुसार बंटवारा करवाने के लिए सहमत है।यह है कि प्रार्थना पत्र का फिकरा संख्या 05 गलत होने से अस्वीकार है। जवाब इस प्रकार है कि हम अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बंटवारा करवाने के लिए सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। उक्त सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसको अप्रार्थीगण बिना विधिवत बंटवाडा के बैचान व हस्तांतरण कर प्रार्थी को नुकशान कारित करना चाहते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने से मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे। प्रत्युतर में अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी का बंटवारा करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मैने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली में सलंग्न मौजूदा जमाबन्दी में प्रार्थी विवादित भूमि का बतौर खातेदार दर्ज है। किन्तु प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य सबूत या दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त विवादित आराजी को अप्रार्थीगण बैचान करने पर आमादा हो या प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि पर से उसे अप्रार्थीगण द्वारा जबरन बेदखल किया जा रहा हो। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाडा करने पर सहमति का कथन किया है। अप्रार्थीगण के उक्त कथन का प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर प्रत्येक सह–खातेदार का कण–कण भूमि पर हक हिस्सा समान रूप से निहित होता है तथा किसी भी सह खातेदार द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक तथा किसी अन्य सह–खातेदार के हिस्से की भूमि का बैचान या हस्तांतरण किया जाना भी सम्भव प्रतित नही होता है। अः मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू इस स्तर पर प्रार्थी के पक्ष में नही पाये जाने से प्रार्थना पत्र पोषणीय नही पाया जाने से एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.01.2017 को अपास्त कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे।

(प्रमोदकुमार)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 15:56:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner